न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 84/18 तारीख रज्जू–08/10/18

1 प्रहलाद दास पुत्र गंगाधर दास उम्र 68 वर्ष जाति बैरागी (बाबाजी) निवासी ग्राम धोली तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। –अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। –रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 7.6.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम धोली के नामान्तकरण संख्या 8 में पारित निर्णय दिनांक 19/05/04 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने ग्राम धोली में स्थित अपीलान्ट की गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि का नामान्तकरण खारिज किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 8 निर्णय दिनांक 19/05/04 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 की और से परोकार सरकार उपस्थित तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में की गई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का नोटिस दिया जाता तो वे अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते तो यह आदेश कदापि नहीं होता इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में मौके की वास्तविक स्थिती बाबत् कोई जांच नहीं की है। यदि अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय द्वारा मौके की जांच की जाती तो प्रार्थी के कब्जा व उसकी वास्तविक स्थिती सामने आ जाती, हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके व कब्जा जांच किये बिना रिपोर्ट कर दी जिस पर विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है।

आवंटन के समय दो गवाहान के सामने हल्का पटवारी व गिरदावर ने आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा मौके पर जाकर अपीलार्थीगण के पिता के सुपुर्द कर दिया था तब से आज तक आराजी पर पिछले 45 वर्षो से अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। अतः नामान्तकरण संख्या 8 निर्णय दिनांक 19/05/04 स्वतः ही निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 8 निर्णय दिनांक 19/05/04 वाके ग्राम धोली निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा स्वयं मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट अनुसार आवंटी का कब्जा नहीं पाये जाने पर नियमानुसार उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त नामान्तकरण संख्या 8 निर्णय दिनांक 19/05/04 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा कब्जा नहीं होने के संबंध में रिपोर्ट करने पर उक्त नामान्तकरण निरस्त किया गया है। लेकिन पेरोकार सरकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जांच कर उक्त जांच रिपोर्ट प्रेषित की है तथा उक्त रिपोर्ट नामान्तकरण पर ही नोट अंकित कर प्रस्तुत की गई है। पेरोकार सरकार द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट पृथक से प्रस्तुत नहीं की गई है ना हि मौके पर उपस्थित गवाहन की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, साथ ही यदि आंवटी का मौके पर कब्जा नहीं था तो तहसीलदार द्वारा उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होना पाया गया है। केवल पटवारी द्वारा नामान्तकरण पर नोट अंकित करने से उक्त नामान्तकरण निरस्त किया गया है। उक्त नामान्तकरण के साथ पेरोकार सरकार द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

11/8

है। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जांच कर रिपोर्ट की गई है अथवा नही ? अतः अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 8 निर्णय दिनांक 19/05/04 वाके ग्राम धोली निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 7.6.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर